

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।
पत्रांक १११/१५१ बिजनौर दिनांक सितम्बर, २६, २०१६।
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय :- बिजनौर में नहतौर-नूरपुर-जोया-अमरोहा मार्ग किमी० २६.४०० की दायी पअरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खसरा संख्या-१४७ में गैरारि एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७५१ हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :- उ०प्र० शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग-२ के पत्रांक पी-१२२/१४-२-२०१६-८००(८१)/२०१६ दिनांक १०-०८-२०१६ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की पत्रांक ३२१/११सी दिनांक १२-०८-२०१६।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-११-२६८/२०१४/एफ०सी०, दिनांक ११-७-२०१४ के दिन्दु संख्या (i) से (vii) तक का अनुपालन किया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(एम० संमोहन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।